

WESTERN RAILWAY

P.S.No.40/2012

Headquarter Office,  
Churchgate, Mumbai-20

No. EP(P&A)70/6 Vol.VII

Date: 16.04.2012

To,  
All DRMs / CWMs & Units Incharge,  
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.  
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai  
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway Employees – Revised rates effective from 01.01.2012.

=====

A copy of Railway Board's letter No. PC-VI/2008/1/7/2/1 dated 09.04.2012 (R.B.E.No.49/2012 PC V/289) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 05.10.2011 (RBE No.137/2011 S.No.PC-VI/277) as referred to therein was circulated under this office P.S.No.133/2011 dt.7.10.2011.

Encl: As above.

*Asha Dhule*  
16/4/12  
(Asha Dhule)

APO(B&A)  
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No. PC-VI/2008/1/7/2/1 dated 09.04.2012 (R.B.E.No.49/2012 PC V/289) addressed to the General Manager, All Indian Railways and Others.

Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway Employees – Revised rates effective from 01.01.2012.

-----

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 05.10.2011 (S.No.PC-VI/277, RBE No.137/2011) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 58% to 65% with effect from 1st January, 2012.

2. The provisions contained in Paras 3,4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No.PC-VI/3, RBE No.106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all railway employees. The arrears may be charged to the salary bill for April, 2012 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

=====

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.40/2012

प्रधान कार्यालय,  
चर्चगेट, मुंबई.

सं. ई पी(पी & ए)70/6 भाग VII

दि.16-04-2012

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .

प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया एस सी/एस टी रेलवे एम्प्लाइज एसोशिएशन 'वेस्ट' शोन,मुंबई .

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेलवे एम्प्लाइज एसोशिएशन , मुंबई.

विषय : रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी- 01.01.2012 से लागू संशोधित दरें

\*\*\*\*\*

रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.04.2012 के पत्र सं.पीसी-VI/2008/1/7/2/1 (आर बी ई सं.49/2012 पी सी VI/289) की प्रतिलिपी सुचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

उसमें उल्लेखित रेलवे बोर्ड का दिनांक 05.10.2011 का (आर बी ई सं.137/2011 S.No.PC-VI/277) को इस कार्यालय के दिनांक 07.10.2011 का पी एस सं.133/2011 में परिपत्रित किया गया था ।

संलग्न : यथोक्त

आशा धुले 16/4/12

(आशा धुले)

सहायि (वे.एवं भ.)

कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यो को संबोधित रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.04.2012 के पत्र सं.पीसी-VI/2008/1/7/2/1 (आर बी ई सं.49/2012 पी सी VI/289) की प्रतिलिपी ।

विषय:रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2012 से लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 05.10.2011 के समसंख्यक पत्र ( कम सं.पी सी-VI/277 आर बी ई सं.137/2011) का अवलोकन करें । राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया

है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जनवरी, 2012 से 58% की मौजूदा दर से 65% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र ( क्रम सं.पीसी-VI/3 आर बी ई सं.106/2008 ) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इस आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान अप्रैल, 2012 के वेतन बिल में प्रभारित किया जाए और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*